

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 11 जिलों (अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापूरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ व उदयपुर) में नगरीय निकायों के 17 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जून, 2024 में करवाये जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 30.06.2024 (रविवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 30.06.2024 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहाँ पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 2127

दिनांक:- 25.06.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापूरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव